

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक:- F 7(1) Training/ICDS/16/ 141617

जयपुर दिनांक 24-10-16

कार्यालय आदेश

वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रशिक्षण कलैण्डर के तहत महिला पर्यवेक्षकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित कर निर्देश दिये जाते हैं कि नामांकित पर्यवेक्षकों को मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में उपस्थिति देने के निर्देश देने का श्रम करे। इस संबंध में निम्न निर्देशों का ध्यान रखा जावे। (प्रशिक्षण की अवधि 27.11.2016 से 03.12.2016 तक है) :-

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नहीं भेजा जावे।
2. पुनश्चर्या प्रशिक्षण में ऐसी महिला पर्यवेक्षकों को नामांकित किया जावे जिसे कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो एवं पूर्व में पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किये 2 वर्ष या अधिक समय हो गया हो।
3. यदि नामांकित पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से बचने हेतु मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे तो उस पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच कराई जावे।
4. पर्यवेक्षक को यात्रा भत्ता (TA) का भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर ही किया जावेगा।
5. पर्यवेक्षक के आवास एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध होगी।
6. किसी अन्य प्रशिक्षण के कारण से पर्यवेक्षक को इस प्रशिक्षण में जाने से नहीं रोका जावे।
7. यदि कोई पर्यवेक्षक प्रशिक्षण में विशेष कारणों के अलावा उपस्थित न हो तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
8. प्रशिक्षण में कम उपस्थिति पर संबंधित उपनिदेशक की जिम्मेदारी होगी।
9. यदि नामांकित पर्यवेक्षक आपकी परियोजना में कार्यरत नहीं है तो संबंधित परियोजना को स्वयं के स्तर पर सूचित करे। साथ ही यदि किसी पर्यवेक्षक का नाम दुबारा नामित हो गया है तो उसकी जगह जिले से किसी अन्य पर्यवेक्षक को नामित कर सूचित करें।
10. प्रशिक्षणार्थी पर्यवेक्षक के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रु. 20/- आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रु. 150/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरुष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगा।

21/10/16
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- F 7(1) Training/ICDS/16/ 141618-650

जयपुर दिनांक 24-10-16

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग,.....को भेजकर लेख है प्रशिक्षण में नामांकित पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण में भिजवाये, यदि पर्यवेक्षक ने स्थानान्तरण होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो उनके पुराने पदस्थापन स्थान पर उक्त आदेशों को भिजवाते हुये उन्हें सूचित करें।
3. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर रोल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ
5. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर।

21/10/16
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में दिनांक 27.11.2016 से 03.12.2016 तक पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु नामांकित महिला पर्यवेक्षकों की सूची :-

क्र. सं.	नाम पर्यवेक्षक	परियोजना का नाम	जिले का नाम
1.	ममता शर्मा	अराई	अजमेर
2.	विमला माथुर	भिनाय	अजमेर
3.	राजकुमारी शर्मा	मसूदा	अजमेर
4.	आशा माथुर	पीसांगन	अजमेर
5.	ज्योति सक्सेना	बानसूर	अलवर
6.	गीता रानी	बानसूर	अलवर
7.	कल्पना	बहरोड	अलवर
8.	पिस्ता देवी चौधरी	कठूमर	अलवर
9.	शारदा कान्ता	आनन्दपुरी	बांसवाडा
10.	मंजूला द्विवेदी	बागीदौरा	बांसवाडा
11.	अंजना देवी मेहता	बागीदौरा	बांसवाडा
12.	उर्मिला पण्डया	गढी	बांसवाडा
13.	मीरा रावत	गढी द्वितीय	बांसवाडा
14.	मंजू अमेठा	अन्ता	बारा
15.	विष्णु कान्ता मेहरा	अटरू	बारा
16.	मधू गुप्ता	बारा ग्रामीण	बारा
17.	शोभा लक्ष्मी शर्मा	छबडा	बारा
18.	विजयलक्ष्मी कजोलिया	शाहबाड	बारा
19.	कुसुम लता शर्मा	नगर पहाडी	भरतपुर
20.	काशी कुमारी	रूपवास	भरतपुर
21.	सरोज यादव	सेवर	भरतपुर
22.	उर्मिला सिंह	सेवर	भरतपुर
23.	शारदा देवी	वैर	भरतपुर
24.	इन्द्रा वैष्णव	आसीन्द	भीलवाडा
25.	बीना हेमराजानी	सहाडा	भीलवाडा